

तारीख हुजूम

दावा

20/09/23

पक्षकार ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित भूमियों का उनवानी शांति देवी बनाम टाकरदास एवं सुरजप्रकाश बनाम किशोर वगैरे प्रकरणों का पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से निस्तारित हो चुके है। इसलिए उक्त वादपत्र को आगे नहीं चलाकर प्रकरण को इसी स्तर पर विद्रा कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र विद्रा स्वीकार कर प्रकरण को इसी स्तर पर विद्रा कर खारिज किए जाने की स्वीकृति दी जाती हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

11.01.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण मय पक्षकार ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित भूमियों का उनवानी शांति देवी बनाम टाकरदास एवं सुरजप्रकाश बनाम किशोर वगैरे प्रकरणों का पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से निस्तारित हो चुके है। इसलिए उक्त वादपत्र को आगे नहीं चलाकर प्रकरण को इसी स्तर पर विद्रा कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र विद्रा स्वीकार कर प्रकरण को इसी स्तर पर विद्रा कर खारिज किए जाने की स्वीकृति दी जाती हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

*(Signature)*

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

